न्यायालय– जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश–तृतीय, सिवान
<u>उपस्थितः– उमेश मणि त्रिपाठी</u>
<u>A.B.P. No.-388/2026</u>
अनीश कुमार एवं अन्य बनाम बिहार सरकार
[महाराजगंज थाना कांड संख्या 19/2026]
<u>आदेश</u>

<u>19.05.2026</u> आवेदकगण/अभियुक्तगण **1. अनीश कुमार, 2. पियूष कुमार, 3. प्रिंस कुमार एवं 4. संजय राय** की ओर से दाखिल अग्रिम जमानत आवेदन सं0 388/2026, महाराजगंज थाना कांड संख्या 19/2026, अंतर्गत धारा 126(2), 115(2), 109, 351(2), 352, 303(2)/3(5) भारतीय न्याय संहिता एवं 27 आयुध अधिनियम आवेदकगण/अभियुक्तगण के विद्वान अधिवक्ता श्री पवन कुमार मिश्रा एवं विपक्षी विद्वान अपर लोक अभियोजक श्री रघुवर सिंह को सुना।

संक्षेप में अभियोजन का कथन यह है कि दिनांक 27.01.2026 को लगभग 12 बजे दिन में सूचक अपने भाई सुधीर राय के साथ अपने मुर्गी अंडा फार्म पर मजदूरों के साथ काम करवा रहे थे। तभी एक बोलेरो गाड़ी से पियूष कुमार, प्रिंस कुमार, अनीश कुमार, संजय राय एवं अज्ञात सभी लोग फार्म पर आ गए। सूचके के फार्म के ऑफिस में घुसकर संजय राय ने अंडा बिक्री का 90500/– रूपया बैग सहित ले लिए। सूचक और उनका भाई विरोध करने लगे तब तक हाथ में लिए पिस्टल से पियूष कुमार ने सूचक के कनपट्टी पर भिड़ा दिए। हाथ में लिए रड से प्रिंस कुमार ने जान मारने की नियत से मारने लगे। हाथ से रोकने के क्रम में हाथ पर काफी चोटें आई। पीठ, छाती पर भी मार कर बुरी तरह जख्मी कर दिए। इसी क्रम में सूचक के गले से 12 ग्राम सोने का चैन अनीश कुमार ने निकाल लिया। सूचक के भाई सुधीर राय सूचक को बचाने आए तो उसको भी इन लोगों ने मिलकर लाठी, डंडा व रड से मिलकर मारपीट कर बुरी तरह जख्मी कर दिए। घटना को देखकर मजदूर डर से छुप गए। सभी लोग हल्ला किए तब तक जान मारने की नियत से पियूष कुमार ने अपने हाथ में लिए पिस्टल से फायर कर दिया। सूचक गिर गए तो बचे। हला सुनकर लोग आ गए तब तक सभी लोग गाड़ी छोड़कर भाग गए। सूचक और उनका भाई अपना ईलाज सरकारी अस्पताल महाराजगंज में कराए।

आवेदकगण/अभियुक्तगण के विद्वान अधिवक्ता द्वारा अपने तर्क में यह कहा गया है कि आवेदकगण की ओर से पूर्व में कोई अग्रिम या नियमित जमानत आवेदन कभी भी विद्वान प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, सिवान या माननीय उच्च न्यायालय पटना के समक्ष दायर नहीं किया गया है। आवेदकगण का अतीत साफ है और उसके खिलाफ इस मामला के अलावा अन्य कोई मामला पंजीकृत नहीं है। आवेदकगण को झूठे तरीके से पुरानी दुश्मनी के कारण इस मामले में फंसाया गया है। आवेदकगण के विरूद्ध लगाई गई धारा 109, 303(2) भारतीय न्याय संहिता को छोड़कर सभी जमानतीय है और इसे सिर्फ मामले को अजमानतीय बनाने के लिए लगाया गया है। आवेदकगण मामले की जांच और सुनवाई में अपना पूर्ण सहयोग देने का वचन देते हैं। अतः उनके द्वारा आवेदकगण को अग्रिम जमानत पर मुक्त किए जाने की प्रार्थना की गई।

विद्वान अपर लोक अभियोजक श्री रघुवर सिंह के द्वारा अग्रिम जमानत आवेदन का विरोध करते हुए अपने तर्क में यह कहा गया है कि आवेदक द्वारा कारित अपराध गंभीर प्रकृति का अपराध है। अतः अग्रिम जमानत आवेदन को खारिज किया जाय।

न्यायालय– जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश–तृतीय, सिवान
<u>उपस्थितः– उमेश मणि त्रिपाठी</u>
<u>A.B.P. No.-388/2026</u>
अनीश कुमार एवं अन्य बनाम बिहार सरकार
[महाराजगंज थाना कांड संख्या 19/2026]

<u>19.05.2026</u>

लगातार

उभय पक्षों को सुना एवं अभिलेख का अवलोकन किया। अभिलेख के अवलोकन से स्पष्ट है कि प्रस्तुत मामले में प्राथमिकी महाराजगंज थाना कांड संख्या 19/2026, अंतर्गत धारा 126(2), 115(2), 109, 351(2), 352, 303(2)/3(5) भारतीय न्याय संहिता एवं 27 आयुध अधिनियम के अंतर्गत आवेदकगण के विरूद्ध पंजीकृत कराई गई है। आवेदकगण के विरूद्ध अन्य सह–अभियुक्तों के साथ मिलकर सूचक एवं उसके भाई को लाठी, डंडा एवं लोहे के रड से मारने, 90500/– रूपया चोरी करने, 12 ग्राम के सोने का चैन छीनने एवं पिस्टल से सूचक के ऊपर फायर करने का विशिष्ट आरोप लगाया गया है। कांड दैनिकी की कंडिका संख्या 2 में वादी का पुनः बयान अंकित है जिसमें उन्होंने प्राथमिकी का पूर्ण रूप से समर्थन किया है। कांड दैनिकी की कंडिका संख्या 4 में जप्ती सूची अंकित है जिसके अनुसार घटना स्थल से एक बोलेरो एवं एक खोखा जप्त होने की बात है। कांड दैनिकी की कंडिका संख्या 9 में साक्षी का बयान अंकित है। कांड दैनिकी की कंडिका संख्या 34 के अनुसार आवेदक प्रिंस कुमार के खिलाफ इस मामला के अलावा अन्य कोई मामला पंजीकृत नहीं है जबकि आवेदकगण संजय राय, पियूष राय एवं अनीश कुमार के खिलाफ इस मामला के अलावा पूर्व से एक अन्य मामला पंजीकृत है। आवेदकगण के विरूद्ध अभी अनुसंधान जारी है। आवेदकगण द्वारा कारित अपराध गंभीर प्रकृति का अपराध है। आवेदकगण/अभियुक्तगण द्वारा कारित अपराध की प्रकृति एवं कारित जख्म की प्रकृति एवं उपरोक्त तथ्यों के आलोक में आवेदकगण/अभियुक्तगण को अग्रिम जमानत पर मुक्त किया जाना न्यायोचित प्रतीत नहीं होता है।

अतः आवेदकगण/अभियुक्तगण **1. अनीश कुमार, 2. पियूष कुमार, 3. प्रिंस कुमार एवं 4. संजय राय** के तरफ से प्रस्तुत अग्रिम जमानत आवेदन दिनांक 07.02.2026 को उपरोक्त के आलोक में **खारिज** किया जाता है।

लेखापित
ह0/–
(उमेश मणि त्रिपाठी)
जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश, तृतीय,
सिवान।
दिनांक 19.05.2026

Date of Order/Judgment	19.05.2026
Date of Reserving Order/Judgment	19.05.2026
Uploading Date	26.05.2026
Uploaded By	RAVI KANT